हो।

गैरसायल को अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 29/12/2017 को पेश हो।

तहसीलदार
रियाबड़ी

तहसीलदार, रियां बड़ी
(नागौर - राजस्थान)

929
15.12.2017

29/12/2017 पत्रावली पेश हुई। गैरसायल उप दुआ एवं सुनवाई पत्रावली का अवलोकन किया गैसेप्र में विवरण इस प्रकार है कि परवाती देवा लामोलाई ने मौजा लामोलाई के ख०नं० 938 रकबा 0.02 है० कित्ता भूमि जो मु नंबर पर सम्बत 2074 में रामदेव पुत्र रामा किसान जाति भाली नि० लामो लाई के कब्जा राजकीय भूमि जो मु नंबर पर बाड़ा बनाकर नाजायज अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में पी०पी० रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर इस न्यायालय ने राजस्व प्रकरण दर्ज कर गैरसायल को LRAC 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया गैरसायल उप दुआ एवं सुनवाई गैरसायल ने अतिक्रमण करना स्वीकार किया ऐसी स्थिति में गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौखिक रूप से बेदखल करने एवं अतिरिक्त सुनवाई हेतु 04 (चार सप्ताह) कायम किये जाते हैं। परवाती देवा लामोलाई को मौखिक रूप से अतिक्रमण को बेदखल करने एवं अतिरिक्त सुनवाई की तारीख तय आर.ए० तहसील रियाबड़ी को भेजी जाकर पत्रावली फिर से सुनवाई हेतु तारीख मुकर्रर की गई दि० 29/12/2017 को इस न्यायालय के सुनाया गया।

तहसीलदार, रियां बड़ी
(नागौर - राजस्थान)